1) **फसल वित्त पोषण:-**

I. **वित्त पोषण के प्रयोजन:-** लाखो किसानों के आय के स्तर में सुधार करना एवं देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना।

II. **वित्त की मात्रा:-** जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित वित्त की मात्रा के अनुसार एवं किसान के जोत के आधार पर मारजिन

रूपये 1.00 लाख तक शून्य।

रूपये 1.00 लाख से अधिक 15% से 25%।

प्रतिभूति:- रूपये 1.00 लाख तक फसलों का दृष्टिबंधक, रूपये 1.00 लाख से अधिक कृषि भूमि का बंधक एवं फसलों का दृष्टिबंधक।

2) **डेयरी विकास:-**

I. **उद्देश्य:-** लघु, मध्यम एवं बड़े आकार की जिनमें दो दुधारू पशुओँ से लेकर 100 पशुओं तक की स्थापना हेतु, जिसमें पशुशाला की निर्माण भी शामिल है।

II. **वित्त पोषण की मात्रा:-** नाबार्ड द्वारा अनमोदित ईकाई लागत, परियोजना लागत के अनुसार।

III. **मारजिन एवं प्रतिभूति:-** फसली ऋण के अनुसार।

3) **मुद्रा योजाना:-**

I. **उद्देश्य:-** उत्पादन, व्यापार, सेवा से सम्बंधित सूक्ष्म ईकाईयों की स्थापना, जिसमें कृषि कार्य भी शामिल है।

II. **वित्त पोषण की मात्रा:-**

श्रेणी:-

1. शिशु - रू. 50,000 तक।
2. किशोर - रू. 50,000 से रू. 500,000 तक।
3. तरूण - रू. 500,000 से रू. 100,0000 तक।

III. **मारजिन:-** शिशु- शून्य। किशोर एवं तरूण 15%।

प्रतिभूति:- बैंक ऋण द्वारा निर्मित सम्पत्तियों का दृष्टि बंधक।

4) **स्टैण्डअप इण्डिया:-**

I. **उद्देश्य:-** विशेष रूप से एससी/एसटी एवं महिलाओं जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की हों, के वित्तीय सशक्तिकरण एवं रोजगार उद्देश्य को ध्यान में रखकर व्यापार हेतु ऋण प्रदान करना।

II. **वित्तीय पोषण की मात्रा:-** व्यापार के आकार के आधार पर रूपये 10.00 लाख से रूपये 100.00 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

III. **मारजिन:-** उक्त योजना में 25% मारजिन राशि है।

क्रमश:.....2

5) **गोल्ड लोनः-**

I. **उद्देश्यः-** किसानों के लिये फसल हेतु अथवा अन्य उद्देश्य हेतु ऋण जरूरत की पूर्ति।

II. **वित्तीय पोषण की मात्राः-** गहनों एवं आभूषणों के मूल्य आंकलन के अनुसार रूपये 15.00 लाख तक का ऋण।

III. **मारजिनः-** उक्त योजना में 40% मारजिन राशि है।

प्रतिभूतिः- शाखा में किसान द्वारा सोने का आभूषण अथवा सोने के सिक्के प्रतिभूति के रूप में रखे जायेंगे।

6) **शिक्षा ऋणः-**

I. **उद्देश्यः-** शिक्षा सम्बंधित ऋण उन छात्रों को, जिन्हे भारत एवं भारत से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी है, को कमाई योग्य बनाने हेतु।

II. **वित्तीय पोषण की मात्राः-** भारत में शिक्षा के लिये अधिकतम रूपये 10.00 लाख भारत से बाहर शिक्षा के लिये अधिकतम रूपये 20.00 लाख का ऋण।

III. **मारिजनः-** उक्त योजना में रूपये 4.00 लाख तक शून्य एवं रूपये 4.00 लाख से अधिक 5% (भारत में शिक्षा) एवं 15% (भारत से बाहर शिक्षा हेतु)।

प्रतिभूतिः- रूपये 7.50 लाख तक अभिभावक या संरक्षक को सम्मिलित रूप से ऋण ग्राही होना है। रूपये 7.50 लाख से अधिक राशि के ऋण हेतु अभिभावक या संरक्षक को सम्मिलित रूप से ऋणग्राही होने के अतिरिक्त सम्पार्श्विक सुरक्षा भी ली जायेगी।

.....

अग्रणी जिला प्रबंधक, मैनपुरी।